प्रारम्भिक डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 1/67/2018 दायर दिनांकः— 01/06/2018

जीसीएमएस नं0:— 2023/160 निर्णय दिनांकः— 18/11/2025

बउनवान

1. बाबू पुत्र सुल्तान जाति मीना निवासी तसई तहसील कठूमर ज़िला अवलर।

—————— वादी

बनाम

1. नबावखां पुत्र मुंशी जाति सक्का निवासी तसई
2. छंगाखां पुत्र मुंशी जाति सक्का निवासी तसई
3. ईम्मूखां पुत्र मुंशी जाति सक्का निवासी तसई
4. मगन पुत्री नन्नू जाति सक्का निवासी तसई
5. बाबूखां पुत्र सम्मन जाति सक्का निवासी तसई
6. नसरूखां पुत्र सम्मन जाति सक्का निवासी तसई
7. सावूखां पुत्र सम्मन जाति सक्का निवासी तसई
8. अशरफखां पुत्र सम्मन जाति सक्का निवासी तसई
9. गफूर पुत्र सुम्मन जाति सक्का निवासी तसई
10. कज्जी पुत्र रोशन जाति सक्का निवासी तसई
11. याकत पुत्र खुटटा जाति सक्का निवासी तसई
12. ईस्राइल पुत्र खुटटा जाति सक्का निवासी तसई
13. उप पंजीयक महोदय कठूमर

——— प्रतिवादीगण

14. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर।

—— तर0 प्रतिवादी

दावा तकसीम व हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

उपस्थितिः–1.श्री राधावल्लभ शर्मा –अधिवक्ता वादी
2.श्री भागचन्द जैन–अधिवक्ता प्रतिवादी 1, 2, 3, 5 से 12

–:निर्णयः–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 2813 रकबा 1.78 हैक्ट0, 2814/3420 रकबा 0.63 वाके ग्राम तसई बी तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी में वादी का 1/6 हिस्सा व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण एवं तरप्रतिवादीगण 1/6 हिस्सा की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। लगान सरकारी शामलात में अदा कर रहे है। अब पक्षकारान के मध्य शामलात काश्त करने में आपस में झगडे होते रहते है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी में शामलात में काश्त करने में रूचि नहीं लेते है। इस वजह से फसल कम पैदा होती है। वादीगण विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है, जो विवादित आराजी में वादी के 1/6 हिस्सा के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है, एवं झगडा करते है। बिना तकासमा कराये दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। अतः वादीगण ने विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी तकासमा कराने प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.03.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 से 12 की ओर से श्री भागचन्द जैन अधिवक्ता उपस्थित आये प्रतिवादी संख्या 13 व 14 जवाब नही दिये जाने पर उनका जवाब बन्द कर दिया गया। दिनांक 28.06.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 से 14 उस्थित नही होने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 व 13 वाबजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना के उस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी स्वयं द्वारा पीडब्लू 1 के बयान लेखवद्व कराये गये। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 फौत होने पर प्रार्थना पत्र ऑर्डर 22 रूल 4 सीपीसी पेश कियां जिस पर बहस वकील वादी सुनी गई प्रार्थना पत्र ऑर्डर 22 रूल 4 सीपीसी साबित होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 5 ला0 8 पूर्व से ही दावा में संयोजित किये गये है। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन

उपखण्ड अधिकारी

में नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 वाके ग्राम तसई बी सत्य प्रतिलिपी पेश की है, वादी के द्वारा हाजिर अदालत होकर साक्ष्य हेतु स्वयं के शपत्र पेश किये गये।

पत्रावली पर बहस वकील वादी सुनी गई। बहस में अधिवक्ता वादी द्वारा अपने प्रस्तुत वाद के तथ्यों को दोहराते हुये उक्त आराजी का अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। लगान सरकारी शामलात में अदा कर रहे है। अब पक्षकारान के मध्य शामलात काश्त करने में आपस में झगडे होते रहते है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी में शामलात में काश्त करने में रूचि नहीं लेते है। इस वजह से फसल कम पैदा होती है। वादीगण विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है, जो विवादित आराजी में वादी के 1/6 हिस्सा के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है, एवं झगडा करते है। बिना तकासमा कराये दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। अपने वाद को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया जमाबन्दी में विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादी की शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी को वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की होना व विवादित आराजी पर शामलात में काश्त करना जाहिर किया है। विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज होने से विवादित आराजी का वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की होना व कानूनी तकासमा नहीं होना अवट होने का अनुमान किया जाता है, एवं वादी के अधिवक्ता के निवेदन के आधार पर दावा वादी प्रारम्भिक रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

अतः वाद वादी प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जाते है कि वो आराजी खसरा नम्बर 2813 रकबा 1.78 हैक्ट0, 2814/3420 रकबा 0.63 वाके ग्रम तसई बी तहसील कठूमर पर मौके पर पहुॅच कर दोनो पक्षकारान की उपस्थिति में मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर नियत दिनांक से पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें ताकि मुकदमा में अंतिम डिक्री पारित की जा सके। इस आशय की तहरीर तहसीलदार कठूमर को जारी की जावे।

उपखण्ड अधिकारी